जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नगीना दिनॉक 25.11.2024

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 420/467/468 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.05.2024 को वादिया श्रीमति नाजरीन पत्नी मौ0 सुल्तान निवासी ग्राम मोगली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर अभियुक्तगण 1.रणधीर सिंह पुत्र विरेन्द्रपाल सिंह 2.लक्ष्मी देवी पत्नी पुखराज निवासीगण ग्राम नंगला लद्दा थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा धोखाधडी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व मूल्यवान प्रतिभूति लेने आदि के संबंध में मु0अ0सं0 131/24 धारा 420/467/468 भादवि पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/24 धारा 420/467/468 भादवि में वांछित अभियुक्त रणधीर सिंह पुत्र विरेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम नंगला लद्दा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्ता की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1.रणधीर सिंह पुत्र विरेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम नंगला लद्दा थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1208 अरूण कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नजीबाबाद **दिनांक- 25.11.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को छिने गये मोबाइल, नगदी व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा सहित किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.11.2024 को वादी राधेश्याम पुत्र श्री मुरारी सिंह निवासी ग्राम टॉडा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र से उसका मोबाइल फोन व 500/- रुपये नगदी छीन लिये गये। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0-569/2024 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.अरमान पुत्र इब्राहीम 2. गुलफाम पुत्र इब्राहीम निवासीगण कच्ची गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित दोनों अभियुक्तों को गढमलपुर पुल के पास से ग्राम जहानाबाद जाने वाले रास्ते से घटना में छीने गये मोबाइल, 500/- रुपये नगदी व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अरमान पुत्र इब्राहीम निवासी कच्ची गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. गुलफाम पुत्र इब्राहीम निवासी कच्ची गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

01 मोबाइल फोन, 500/- रूपये नगदी व ई-रिक्शा

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त-

1.मु0अ0स0-114/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रामवीर शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हे0का0 615 विनय पंवार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का0 2440 सुधीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. का0 1971 हरिओम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना चांदपुर दिनॉक 25.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 649/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये मोबाइल व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.11.2024 को वादिया श्रीमति श्यामो देवी पत्नी चन्द्रपाल सिंह निवासी अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 24.11.2024 को अभियुक्तगण 1. आदित्य कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम रावली मोहब्बतपुर लक्कू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.शाहरूख पुत्र जफरू निवासी मौ0 कटकुई कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर से वादिनी का मोबाईल फोन व 1000 रूपये चोरी कर लिया तथा दोनो अभियुक्तगणों को चोरी के मोबाईल व 1000 नगदी सहित पकड लिया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 649/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस पंजीकृत कर स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तगणों को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 649/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1.आदित्य कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम रावली मोहब्बतपुर लक्कू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.शाहरूख पुत्र जफरू निवासी मौ0 कटकुई कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.आदित्य कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम रावली मोहब्बतपुर लक्कू थाना मण्डावर बिजनौर
2.शाहरूख पुत्र जफरू निवासी मौ0 कटकुई कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1. 01 मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी)
2. 1000 रूपये नगदी।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नहटौर   दिनॉक 25.11.2024

थाना नहटौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 366/24 धारा 333/352/109/115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.10.2024 को वादी श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शमसावाद थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आदेश कुमारी पत्नी जितेन्द्र 2.आयुष पुत्र जितेन्द्र नि0गण ग्राम शमसावाद थाना नहटौर जनपद बिजनौर 3.बब्लू पुत्र मामराज 4.रामकरण पुत्र मामराज नि0गण ग्राम गोगली थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डण्डों व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से हमला किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 366/24 धारा 333/352/109/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 366/24 धारा 333/352/109/115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्ता आदेश कुमारी पत्नी जितेन्द्र निवासी ग्राम शमसावाद थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1. आदेश कुमारी पत्नी जितेन्द्र निवासी ग्राम शमसावाद थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
2. महिला आरक्षी 309 निशी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 1310 बोबी कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 25.11.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 527/24 धारा 137(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.11.2024 को वादी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण प्रिंसपाल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नीलाखेडी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा आदि 02 नफर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गये है । इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0-527/24 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम प्रिंसपाल आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम नीलाखेडी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम नीलाखेडी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.म0नि0 रीता कुमारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. का0 1285 अर्जुन बालियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 25.11.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1104/2024 धारा 298/352 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.11.2024 को वादी श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री भगीरथ सिंह निवासी ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 24.11.2024 की रात्रि में अभियुक्त शहानबाज पुत्र इदरीश निवासी ग्राम मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा ग्राम शादीपुर डल्ला स्थित धार्मिक स्थल को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा वादी व ग्रामवासियों के द्वारा इसका विरोध किये जाने पर अभियुक्त शहानबाज सभी के साथ गाली-गलौंच करते हुए वहाँ से भाग गया। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0-1104/2024 धारा 298/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शहानबाज पुत्र इदरीश निवासी ग्राम मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहानबाज पुत्र इदरीश निवासी ग्राम मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 प्रशान्त सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.का0 1596 शमीम थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 25.11.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 432/24 धारा 3(5)/109/118(1)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.11.2024 को वादी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरज्ञान सिंह निवासी ग्राम रजाकपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 05.11.2024 को अभियुक्त रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री लखपत सिंह निवासी ग्राम लोधीपुर मिलक थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर द्वारा अपने अन्य साथी नाम पता अज्ञात के साथ मिलकर एकराय होकर वादी व उसके चचेरे भाई अरूण कुमार पुत्र श्री शीशपाल सिंह निवासी ग्राम रजाकपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 432/24 धारा 3(5)/109/118(1)/351(3) बीएनएस बनाम रविन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त व अन्य नाम पता नामालूम पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.टण्डेल उर्फ लोकेन्द्र पुत्र जीवन सिंह 2.प्रीत पुत्र स्व0 भूरे सिंह निवासी गण ग्राम अलहदादपुर कलां थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा 3.जोगेन्द्र प्रताप पुत्र जयपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम बीवडा कलां थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा 4.मयंक चौहान पुत्र दिलावर सिंह चौहान निवासी ग्राम कासमपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा के नाम प्रकाश में आये।

नोट-दिनांक 24.11.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.जोगेन्द्र प्रताप पुत्र जयपाल निवासी ग्राम बीवडा कलां थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा 2.मयंक चौहान पुत्र दिलावर निवासी ग्राम कासमपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.11.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रीत पुत्र स्व0 भूरे सिंह निवासी गण ग्राम अलहदादपुर कलां थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रीत पुत्र स्व0 भूरे सिंह निवासी ग्राम अलहदादपुर कलां थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 291 सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 17 सलीम चौधरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 25.11.2024**

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने सम्बंधी ट्वीट के विषय में।

विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2024 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (एक्स) पर आत्महत्या किये जाने के सम्बंध में पोस्ट किया गया। ट्वीट का तत्काल संज्ञान लेकर मौके पर जाकर जांच की गई तो थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी युवती ने बताया कि (ट्वीटकर्ता) ने वर्ष 2021 में धोखे से बहलाफुसलाकर कोरे कागज पर साइन करवाकर उससे कोर्ट मैरिज की थी। 02 दिन बाद जब उसे इस बात का पता चला तो वह वापस अपने घर आ गई तथा अपने माता-पिता को सारी बातें बताई। इसके बाद दोनो पक्षों ने माह अगस्त – 2024 में संभ्रान्त लोगों की मौजूदगी में आपसी सहमति से फैसला कर लिया तथा फैसले में यह तय किया कि कोई भी पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा। फैसला होने के बावजूद भी युवक, युवती को लगातार परेशान कर रहा था।

इस संबंध मे दिनाक 07.12.2021 को युवती के पिता द्वारा उक्त युवक के विरुद्ध थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद पर मु0अ0सं0 302/21 धारा 366/376 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग में थाना भगतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 30.01.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। युवती ने बताया कि उसके साथ धोखे से किये गये कोर्ट मैरिज के सम्बंध में मा0 न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्या0 मुरादाबाद मे वाद हिन्दू मेरीज एक्ट धारा 13 बी के तहत दर्ज कर रखा है। वह अब अपनी मर्जी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के शादी कर रही है। थाना धामपुर पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी मे युवती के कथन अंकित किये गये है। प्रकरण के संबंध में थाना प्रभारी, भगतपुर जनपद मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को माननीय न्यायालय मे चारा जोई कर अनुतोष प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।